तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी./टीए/5587/2003/पाली जेता बनाम बेलाराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09-01-2019	**एकल पीठ** **श्री महावीर सिंह, सदस्य** **उपस्थित-** श्री यज्ञदत्त शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री वी0पी0 सिंह, अधिवक्ता अप्रार्थीगण **निर्णय** हस्तगत निगरानी धारा 230, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम, 1955) के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, देसूरी द्वारा प्रकरण संख्या 39/2003 शीर्षक वेलाराम बनाम जेता व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 29-10-2003 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी ने निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि परीक्षण न्यायालय के समक्ष वादीगण/गैर निगराकारान के द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, जिसके साथ में प्रार्थना पत्र धारा 212 के अन्तर्गत भी प्रस्तुत किया गया था। परीक्षण न्यायालय ने आक्षेपित निगरानीधीन निर्णय के द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 212 को स्वीकार किया और साथ ही अन्य वाद संख्या 42/2003 जेता बनाम वेला अन्य को, वाद संख्या 39/2003 के साथ समेकित करने के अविधिक आदेश पारित किए हैं। योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि वाद संख्या 42/2003 जेता बनाम वेला अन्य धारा 88, 89 व 183 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है जो आराजी खसरा नम्बरान 94, 102, 103, 104/428 व 104 के सम्बन्ध में है जब कि वाद वेला बनाम जेता अधिनियम, 188 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है इसमें आराजी खसरा नम्बर 104 विवादित है। अतः दोनों वादों में निहित पक्षकारान, वादग्रस्त आराजी व अनुतोष भिन्न-भिन्न हैं, अतः इन दोनों वादों को धारा 212 की कार्यवाही में संकलित करने का आदेश उचित नहीं है। समान विवाद बिन्दु, समान पक्षकारान व समान हेतुक होने की स्थिति में ही वादों को संकलित किया जा सकता है। अन्त में योग्य	

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज** **<u>निगरानी./टीए/5587/2003/पाली</u>** **<u>जेता बनाम बेलाराम</u>**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय के वादों को संकलित करने के आदेश को निरस्त करने तथा निगरानी स्वीकार करने का निवेदन किया। अप्रार्थी पक्ष के योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि वाद संख्या 42/2003 जेता बनाम वेला एवं वाद संख्या 39/2003 वेलाराम बनाम जेता व अन्य में आराजी खसरा नम्बर 104 समान रुप से विवादित है। दोनों वादों में निहित पक्षकारान भी समान ही हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में दोनों वादों को एक समान होना अंकित किया है, अतः न्यायालय द्वारा न्याय निर्णयन में सुविधा की दृष्टि से दोनों वादों को संकलित करने का आदेश पारित करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है। निगरानी के सीमित दायरे के अन्तर्गत निगरानीधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है, निगरानी खारिज की जावे। हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया। उभय पक्षीय बहस पर विचार करने पर ज्ञात होता है कि वाद संख्या 39/2003 शीर्षक वेलाराम व अन्य बनाम जेता व अन्य अधिनियम, 1955 की धारा 188 के तहत आराजी खसरा नम्बर 104 के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है और वाद संख्या 42/2003 शीर्षक जेता व अन्य बनाम वेला व अन्य धारा 88, 89 व 183 के अन्तर्गत आराजी खसरा नम्बरान 94, 102, 103, 104/428 व 104 के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है। स्पष्ट है कि दोनों वादपत्रों में निहित पक्षकारान समान हैं और आराजी खसर नम्बर 104 समान रुप से दोनों वादों में विवादित है। समान पक्षकारान व समान आराजी होने की स्थिति में न्याय निर्णय में सुविधा व एकरुपता को देखते हुये, न्यायालय को यह क्षेत्राधिकार प्राप्त है कि वह दोनों वादों को एक साथ समेकित करते हुये, निर्णय करे। दोनों प्रकरणों में अभी अधीनस्थ न्यायालय के स्तर पर परीक्षण किया जाना और विवाद बिन्दु निर्धारित किया जाना है। दोनों वादपत्रों को समेकित करने से प्रकरणों के गुणावगुण पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पडता है और ना ही किसी एक पक्ष विशेष को, वादों को समेकित करने से, किसी प्रकार से क्षति होने का ही अंदेशा रहता है।	

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज** **निगरानी./टीए/5587/2003/पाली** **जेता बनाम बेलाराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वादपत्रों को समेकित करना केवल न्याय निर्णयन में सुविधा की दृष्टि से ही किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार की तात्विक या क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि नहीं होने से, निगरानी के सीमित दायरे के अन्तर्गत निगरानीधीन निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः निगरानी सारहीन होने से **खारिज** की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(महावीर सिंह)** **सदस्य**	